सामान्य भविष्य निधि नियम
(GENERAL PROVIDENT FUND RULES)

यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो 1 नवम्बर, 2004 को या इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा में नियुक्त हुए हैं।

1. निधि का गठन तथा अभिदान की पात्रता

(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण है।

(ii) समस्त शासकीय सेवक, जिनकी सेवा शर्तें तय करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है, निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, किन्तु उन्हें छोड़कर जो ठेके पर रखे गये है या पुनः नियुक्ति पर हैं।

(iii) समस्त शासकीय सेवक जो निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, निधि में अनिवार्य रूप से अभिदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार चाहे तो आदेश द्वारा किन्हीं विशेष वर्ग के शासकीय सेवकों को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है। [नियम 3, 4 एवं 5]

2. अभिदान की राशि

वह अभिव्यक्त ऐसी कोई भी राशि हो सकती है, किन्तु वह उपलब्धियों के 12 प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा शासकीय सेवक की परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

[नियम 11 का उपनियम (1)]

परिलब्धियों में शामिल है-

पे बैंड में वेतन + ग्रेड पे

3. अभिदान की राशि का निर्धारण

नियम 11 (3) के अनुसार अभिदाता उसके मासिक अभिदान की सूचना निम्नानुसार विधि से अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा-

(i) यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर था तो वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को अवकाश पर है तथा उसने अवकाश के दौरान अभिदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलंबित है, तो कर्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम वेतन देयक से काटी जाने वाली अभिदान की राशि से।

(iii) यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान शासकीय सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस संबंध में काटी जाने वाली राशि से।

टिप्पणी :- इस प्रयोजनार्थ परिलब्धियां होंगी-

जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर है, परिलब्धियां जो वह उस दिनांक को पाने का पात्र होता यदि वह उस दिनांक को अवकाश पर है तथा अवकाश के दौरान अभिदान नहीं करने का चयन किया है अथवा निलंबन में है, कर्तव्य पर उपस्थित होने पर जिन

Scanned by TapScanner

अविवाहित है और बाद में यदि उसका विवाह हो जाता है तो उसे चाहिये कि पूर्व का मनोनयन निरस्त कर एक नया मनोनयन प्रस्तुत करें।

मनोनयन प्रस्तुत करने की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तक में की जानी चाहिये।

यदि कोई अंशदाता एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो उसे चाहिए कि वह नामांकित व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय धनराशि अथवा अंश का खुलासा भी करे।

अंशदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित में सूचना भेजकर मनोनयन निरस्त करा सकता है, परन्तु ऐसी सूचना के साथ एक नया मनोनयन अवश्य भेजा जाना चाहिये।

परिवार से तात्पर्य पुरुष अंशदाता के मामले में अंशदाता की पत्नी अथवा पत्नियां और बच्चे, अंशदाता के मृतक पुत्र की विधवा, विधवाएं तथा बच्चे।

महिला अंशदाता के मामले में उसका पति तथा बच्चे और अंशदायी के मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे।

टीप - बच्चों में सम्मिलित हैं—वैध बच्चे। [नियम 8]

9. पास बुक का प्रदाय एवं उसमें प्रविष्टि

सामान्य भविष्य निधि की पास बुक रखने के संबंध में शासन ने निम्न संशोधित निर्देश जारी किये हैं : —

(1) पास बुक का संधारण अनिवार्य होगा। संधारण का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।

(2) पास बुक संबंधित शासकीय सेवक के पास रहेगी।

(3) पास बुक शासकीय प्रेस, कोषालय अथवा बाजार से खरीदकर निःशुल्क शासकीय सेवक को दी जायेगी।

(4) पास बुक में प्रविष्टियां शासकीय सेवक की सुविधानुसार हर महीने या कुछ अन्तराल बाद लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य प्रमाणित की जावेंगी।

(5) यदि वर्ष के दौरान शासकीय सेवक ने कोई अग्रिम अथवा पार्ट फायनल लिया है तो पास बुक में वित्तीय वर्ष के बाद निम्न प्रमाण पत्र अंकित कर आहरण अधिकारी प्रमाणित करें-

"प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष. . . . . .के सभी कटौत्रे और अग्रिम/विकर्षण की प्रविष्टियां पास बुक में की गई हैं।"

(6) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान शासकीय सेवक का स्थानान्तरण होता है तो इसी तरह का प्रमाण-पत्र दर्ज किया जाय।

(7) अग्रिम/विकर्षण के आहरण के बाद रकम के वितरण के पहले इसकी प्रविष्टियां पास बुक में करने की जिम्मेदारी आहरण अधिकारी की होगी।

(8) पार्ट फायनल तथा नियम 15 के उपनियम (1), (2) तथा (3) के अधीन स्वीकृत किये जाने वाले अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति के लिये पास बुक को आधार माना जा सकता है।

(9) नियम 15 के उपनियम (4) और (5) के लिये महालेखाकार द्वारा जारी अंतिम लेखा पर्ची तथा उसके आगे पास बुक की प्रविष्टियों को आधार मानकर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

Scanned by TapScanner

(10) महालेखाकार के दल द्वारा, स्थानीय निरीक्षण दल द्वारा और कोष एवं लेखा के निरीक्षण दल द्वारा आडिट के दौरान पास बुकों का सत्यापन किया जायगा।

(11) आहरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक वर्ष महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त वार्षिक लेखा पर्ची के बैलेंस का मिलान पास बुक से करें। विसंगति पाये जाने पर कार्यालय प्रमुख एक दल भेजकर मिलान कार्य करवायें। लेखा पर्ची प्राप्त न होने की दशा में महालेखाकार कार्यालय से पत्र व्यवहार किया जाय तथा दल भेजकर मिलान कार्य कराया जाय।

(12) इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देश/परिपत्र निरस्त कर दिये गये हैं।

[वित्त विभाग क्रमांक जी-25/31/95/सी/चार, दिनांक 16-4-96]

10. सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम

निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :—

(ए) प्रार्थी, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की गम्भीर या लम्बी बीमारी के सिलसिले में की गई यात्रा सहित खर्चों के भुगतान हेतु।

टिप्पणी:- अभिव्यक्ति "खर्चे जो गम्भीर अथवा लम्बी बीमारी के सिलसिले में किये गये हैं", में कृत्रिम दांत तथा श्रवण यंत्रों पर किये गये व्यय भी शामिल हैं।

(बी) प्रार्थी अथवा प्रार्थी की पत्नी की प्रसूति के सिलसिले में किये गये खर्चों के भुगतान हेतु, बशर्ते कि प्रार्थी के दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हों।

(सी) यात्रा व्यय सहित भारत के बाहर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य के अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा के खर्चे की पूर्ति हेतु।

(डी) भारत में हाई स्कूल स्तर के ऊपर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी सदस्य की तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम पर यात्रा व्यय सहित शिक्षण के खर्चे की पूर्ति हेतु।

(ई) अनिवार्य खर्चों की पूर्ति हेतु जो कि परम्परागत रीति-रिवाज से प्रार्थी को सामाजिक अथवा धार्मिक संस्कार के सम्बन्ध में व्यय करना पड़ते हैं।

(एफ) शासकीय धन की हानि की पूर्ति करने हेतु।

(जी) फौजदारी मामले में अभिदाता का बचाव के सिलसिले में खर्चे की पूर्ति हेतु।

(एच) अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्त्तव्य निर्वाह के सम्बन्ध में किये गये कृत्य का अभिप्रदाय होने पर स्वयं की स्थिति निर्दोष सिद्ध करने कि लिए अभिदाता द्वारा संस्थापित वैधानिक कार्यवाही के खर्च की प्रतिपूर्ति। इस मामले में अग्रिम इसी प्रयोजनार्थ अन्य किसी शासकीय स्रोत से प्राप्त अग्रिम के अलावा होगा :

परन्तु उस अभिदाता को अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा, जो किसी विधि सम्मत न्यायालय में या तो किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही संस्थापित करता है, जो कि उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह से सम्बन्धित नहीं है अथवा किसी सेवा शर्त या उसे दिये गये दण्ड पर शासन के विरुद्ध हो।

(आई) जब किसी विधि न्यायालय में किसी निजी व्यक्ति द्वारा अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, के बचाव की पूर्ति

Scanned by TapScanner

34

सेवानिवृत्ति हितलाभ

(RETIREMENT BENEFITS)

(छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 से)

यह नियम उन कर्मचारियों को कतई लागू नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति 01-11-2004 को या इसके बाद सरकारी सेवा में हुई है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 977/सी-761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27-10-2004]

1. सामान्य शर्तें

पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन के दावों का नियमन - (1) शासकीय कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के समय अथवा उसकी मृत्यु के समय प्रभावशील नियमों के प्रावधानों के अनुसार पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन का नियमन किया जाता है।

(2) कार्यालय या विभाग में की गई सेवा पेंशन हेतु अर्हतादायी है अथवा नहीं इसका निर्धारण उन प्रचलित नियमों द्वारा किया जायेगा जो सेवा संपादन करते समय प्रभावशील थे।

(3) जिस दिन के पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या किया जाता है अथवा सेवा मुक्त या सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है, जैसा भी प्रकरण हो, उस दिन को कार्य दिवस नहीं माना जाता, परन्तु मृत्यु के दिन को कार्य दिवस माना जाता है। [पेंशन नियम 5]

2. पेंशन या परिवार पेंशन निरन्तर चालू रहने की शर्त

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 8 में पेंशन या परिवार पेंशन निरन्तर चालू रहने के लिये भावी सदाचरण की एक शर्त अन्तर्हित है।

यदि कोई पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध करने का दोषी पाया जाता है अथवा गंभीर दुराचरण करने का आरोपी ठहराया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी (नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी) उसकी सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश को हमेशा के लिये अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये रोक सकता है या मंजूरी को वापिस ले सकता है। यदि पेंशन के किसी अंश को रोका जाता है तो शेष पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी। ऐसा करने के पूर्व वह प्राधिकारी पेंशनभोगी को एक अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

नियुक्ति प्राधिकारी यदि स्वयं राज्यपाल है तो वह इस मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श करेगा। राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध अपील अनुज्ञात नहीं है। अन्य अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्यपाल को की जा सकेगी।

व्याख्या - **"गम्भीर अपराध"** (Serious crime) शब्द में कार्यालयीन गोपनीय अधिनियम (1923 का क्र. 19) के अन्तर्गत किया गया अपराध भी शामिल है।

"गम्भीर दुराचरण" (Grave misconduct) शब्द के अन्तर्गत, शासन में किसी पद पर रहते हुये कार्यालयीन गोपनीयता का संचार या प्रगटन या शब्द भेद या कोई नक्शा या योजना, नमूना, सामग्री, टीप, अभिलेख या सूचना, जैसा कि कार्यालयीन अधिनियम खंड 5 में उल्लेखित है जिससे

कि देश की सुरक्षा या सामान्य जनहित पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़े, शामिल है।

3. पेंशन को रोकने या वापिस लेने का राज्यपाल का अधिकार

(1) पेंशन को रोकने या पेंशन या उसके किसी अंश को वापिस लेने, चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो अथवा किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी से उसके द्वारा की गई उपेक्षा या गम्भीर दुराचरण के लिए दोषी पाये जाने पर या शासन को हुई आर्थिक हानि के पूर्ण या उसके किसी अंश को वसूल करने के आदेश देने का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित है :

परन्तु अन्तिम आदेश देने के पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक है तथा जहाँ पेंशन का कुछ अंश रोका जाता है या वापिस लिया जाता है तो इस प्रकार शेष पेंशन न्यूनतम से कम नहीं होगी। [पेंशन नियम 9]

(2) उक्त नियम सेवानिवृत्ति उपरान्त संविदा आधार पर नियुक्त पेंशनरों को भी लागू है।

[वित्त विभाग क्र. 394/सी-158/वि/नि/चार, दिनांक 27-9-2005]

4. पेंशन की संख्या की सीमाएं

कोई भी शासकीय कर्मचारी एक ही सेवा या पद के लिये एक ही समय या उसी लगातार सेवा के लिये दो अलग-अलग पेंशनें प्राप्त नहीं कर सकता है। [पेंशन नियम 7]

5. सेवानिवृत्ति के उपरान्त व्यावसायिक नियोजन (नौकरी)

(1) यदि कोई पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवा में था, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक नौकरी शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

(2) यदि शासन ऐसा आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर आवेदित अनुमति अस्वीकार नहीं करता है या प्रार्थी को स्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो, यह मान लिया जायेगा कि शासन ने अनुमति प्रदान कर दी है।

(3) जहाँ शासन आवेदित अनुमति किसी शर्त के साथ प्रदान करे या अनुमति देने से इंकार करे तो आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रार्थी ऐसी किसी शर्त अथवा अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकता है और शासन जैसा उचित समझे उस पर आदेश दे सकता है।

(4) यदि कोई पेंशनर शासन की पूर्वानुमति के बिना किसी भी समय अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यवसायिक नौकरी ग्रहण करता है या किन्हीं शर्तों का जिसके अधीन नौकरी ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है, का उल्लंघन करता है तो शासन लिखित आदेश के द्वारा और उसमें कारणों को अंकित करते हुये यह घोषणा करने के लिये सक्षम होगा कि उसे पूर्ण पेंशन अथवा पेंशन का कोई अंश, उस अवधि के लिये जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, की पात्रता नहीं होगी :

परन्तु ऐसा आदेश सम्बन्धित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध कारण बताने के अवसर दिये बिना नहीं दिया जाएगा :

परन्तु ऐसा आदेश देने के पूर्व निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा :—

(i) पेंशनर की वित्तीय स्थिति;

Scanned by TapScanner

परिलब्धियों का वह पात्र होता।

(iv) उपरोक्तानुसार नियत किये गये अभिदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके वेतन की दर में बढ़ोतरी या कमी जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च को अन्ततोगत्वा देय हो चुकी है अथवा वर्ष के दौरान देय होगी, किन्तु केवल निम्न परिस्थितियों में फेर-बदल हो सकता है-

(अ) यदि अभिदाता माह के कुछ भाग में कर्तव्य पर रहे तथा कुछ भाग में बिना वेतन अवकाश पर रहे और उसने अवकाश की अवधि का अभिदान नहीं देने का चयन किया हो;

(ब) किसी माह के दौरान मृत्यु हो जाने पर अभिदान नहीं काटा जावेगा।

[नियम 11]

4. अभिदान का बंद होना

(1) अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के दिनांक से चार माह पहले; तथा

(2) निलंबन काल में अभिदान काटना बन्द कर देना चाहिए। [नियम 10]

5. प्रतिनियुक्ति पर गये शासकीय सेवकों की सदस्यता

बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये शासकीय सेवक इन नियमों के अधीन उसी प्रकार अभिदाता बने रहेंगे जिस प्रकार वे ऐसी सेवा में जाने के पूर्व थे। [नियम 12]

प्रतिनियुक्ति पर गये सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि कटौती की राशि का बैंक ड्रॉफ्ट भेजे जाने बाबत — शासनादेश

राज्य शासन के कर्मचारियों के बाह्य नियोजन पर प्रतिनियुक्ति की निबंधन व शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक से प्रतिनियुक्ति अवधि में सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना/परिवार कल्याण निधि इत्यादि की निर्धारित किश्त की राशि वसूल की जाकर शासकीय लेखे में जमा करने का प्रावधान है।

महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा सामान्य भविष्य निधि/समूह बीमा योजना इत्यादि की राशि सम्मिलित करते हुए एकजाई ड्रॉफ्ट/चैक महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है, जिससे इनके समायोजन में कठिनाई होती है।

अतः समस्त विभाग/विभागाध्यक्ष कृपया प्रतिनियुक्ति पर गये सभी शासकीय सेवकों के बाह्य नियोजक को निर्देशित करें कि सामान्य भविष्य निधि कटौतियों (अग्रिम की वसूली सहित) का अलग ड्राफ्ट/चैक तैयार कर कटौती के पूर्ण विवरण सहित महालेखाकार को प्रेषित करें। अवकाश वेतन/पेंशन अंशदान से संबंधित ड्राफ्ट/चैक भी पूर्ण विवरण सहित अलग से महालेखाकार को प्रेषित करें। समूह बीमा योजना/परिवार कल्याण निधि के अंशदान की राशि महालेखाकार को प्रेषित नहीं की जाय। ये राशि योजना के सदस्य के मूल विभाग को छत्तीसगढ़ शासन के लेखे में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा करने के लिए प्रेषित किया जाए।

[वित्त एवं योजना विभाग ज्ञाप क्रमांक 596/557/वि/नि/चार/2003, दिनांक 29 जुलाई, 2003]

6. अंशदान की वसूली

(i) जहां शासकीय सेवकों का वेतन शासकीय खजाने से निकाला जाता है वहां अंशदान, अग्रिम तथा अग्रिम का मूल और ब्याज की वसूली उसकी परिलब्धियों से की जावेगी।

Scanned by TapScanner